

प० सं० : 6/पी० (विविध)- 127/16- 180(6)ब /स्वा०

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।


शुद्धि-पत्र

प्राचार्य, एम०जी०एम० चिकित्सा महाविद्यालय, जमशेदपुर के पत्रांक- एम०सी०/620/17 दि० 13.12.17 द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०- 117(6)ब दिनांक 14.09.17 की कंडिका '6' एवं आवंटनादेश सं०- 143(6)ब दिनांक 23.10.17 की कंडिका '5' को संशोधित रूप में निम्नवत् पढ़ा जाए:-

"इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, एम०जी०एम० मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर होंगे, जो राशि की एकमुश्त अग्रिम निकासी कर कार्य एजेन्सी जैप-आई०टी०, राँची को Axis Bank, Ranchi के Pay ID- PRJ/PAYEE/02754, Account No. 106010100113540, IFSC coed- UTIB0000106 में हस्तान्तरित कराएँगे। इसके नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वा० एवं प० क० विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।"

2. उक्त स्वीकृत्यादेश एवं आवंटनादेश की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।

3. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।



(सुधीर त्रिपाठी)

सरकार के अपर मुख्य सचिव।


ज्ञापांक : 180(6)ब

/स्वा०, राँची, दिनांक : 28.12.17

प्रतिलिपि : माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/महालेखाकार (लेखा एवं हक०), झारखण्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/योजना-सह-वित्त विभाग/आई०टी० विभाग/अभियान निदेशक, झारखण्ड स्वास्थ्य मिशन, नामकुम, राँची/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि०/संबंधित उपायुक्त/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/समी प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/अधीक्षक, एम०जी०एम०एम०सी०एच०, जमशेदपुर/मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, JAP-IT, राँची/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्राचार्य, एम०जी०एम०एम०सी०, जमशेदपुर को उनके ज्ञापांक- एम०सी०/620/17 दिनांक 13.12.17 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

180(6)ब
28.12.17



(सुधीर त्रिपाठी)

सरकार के अपर मुख्य सचिव।